

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-118/2019/

दिनांक:

—:आदेश:—

अरशी मुनज्जम, फार्मासिस्ट (परिवीक्षाधीन), सआदत चिकित्सालय, टोंक का दिनांक 14.06.2013 से 11.07.2013 तक 28 दिवस तथा 17.07.2013 से 11.08.2013 तक 26 दिवस कुल 54 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

sd

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/फार्मासिस्ट/ए-118/2019/122

दिनांक: 13-03-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सआदत चिकित्सालय, टोंक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अवकाश का इन्द्राज कार्मिका की सेवापुस्तिका में दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

7
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर